भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. 5316

गुरुवार, 25 जुलाई, 2019/3 श्रावण, 1941 (शक)

केन्द्रीय सड़क कोष का उपयोग

5316. श्री एस. ज्ञानतिरावियमः

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को उन सूचनाओं की जानकारी है जिनके अनुसार केन्द्रीय सड़क कोष का न तो समुचित रूप से उपयोग किया गया है और न ही इसके अंतर्गत किए गए कार्य संतोषजनक रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) निर्धारित मानदंडों के अनुसार इस कोष का उपयोग करने और कार्यों को प्रभावी रूप से निष्पादित करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं; और

(घ) इन प्रयासों के परिणामस्वरूप सरकार को कितनी सफलता प्राप्त हुई है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) एवं (ख) समय-समय पर वित्त अधिनियम द्वारा संशोधित केंद्रीय सड़क निधि (सीआरएफ) अधिनियम, 2000 के प्रावधानों के अनुसार राज्यीय सड़कों और आर्थिक महत्व एवं अंतरराज्यीय संपर्कता (ईआई ऐंड आईएससी) योजना के अंतर्गत मंत्रालय को पिछले पॉच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान निधियों के अनुचित उपयोग/असंतोषजनक प्रगति के किसी दृष्टांत की सूचना नहीं दी गयी है।

(ग) और (घ) मंत्रालय यह विधिवत सुनिश्चित करते हुए कि राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के पास हर समय पर्याप्त निधि उपलब्ध है, राज्य सरकारों / संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त उपयोग प्रमाणपत्रों के आधार पर सीआरएफ स्कीम के तहत सड़क कार्यों के लिए निधि जारी करता है। मंत्रालय द्वारा ऐसे उपयोग प्रमाण पत्रों के आधार पर निधियां जारी करते समय परियोजनाओं की प्रगति और किए गए व्यय की समीक्षा की जाती है।

ईआई और आईएससी स्कीमों के तहत राज्य की सड़कों के लिए निधियां प्रतिबद्ध दायित्वों, कार्यों की प्रगति, पारस्परिक प्राथमिकता आदि को ध्यान में रखते हुए आवंटित की जाती हैं। ईआई और आईएससी कार्यों के लिए, राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) कार्यों के लिए लागू प्रत्यक्ष भुगतान प्रक्रिया का अनुपालन किया जाता है। निधियां किए गए कार्यों और प्राप्त/संसाधित किए गए बिलों के आधार पर मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालयों (आरओ) /इंजीनियरिंग संपर्क कार्यालयों (ईएलओ)/क्षेत्रीय वेतन और लेखा कार्यालयों (आरपीएओ) द्वारा सीधे ही संविदाकारों को जारी किए जाते हैं।

केंद्रीय सड़क कोष अधिनियम, 2000 को वित्त अधिनियम, 2018 द्वारा संशोधित किए जाने और पूर्व अधिनियम को केंद्रीय सड़क और अवसंरचना कोष अधिनियम, 2000 (सीआरआईएफ) द्वारा प्रतिस्थापित करने से राज्यीय सड़कों के लिए स्कीमों को संस्वीकृत किए जाने का प्रकार्य अब केंद्रीय सरकार का नहीं है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान सीआरएफ और ईआईएंडआईएससी योजनाओं के अंतर्गत निर्मित राज्यीय सड़कों का विवरण इस प्रकार है:

						लंबाई किमी में
	सीआरएफ			**ईआईएंडआईएससी**		
वर्ष	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**
लंबाई किमी में	4,288.38	4,813.00	7,715.85	312.24	521.80	252.15

******